RJPP, Vol. XXII, No.I, Oct.23-Mar.24, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411
Impact Factor 8.858

संथाल परगना के पहाड़िया जनजातियों का राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान

रामानन्द कुमार पासवान
शोधार्थी
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
ईमेलः ramanandbed@gmail.com

प्रो० वकुल रस्तोगी
शोध निर्देशक
मेरठ कॉलिज, मेरठ

सारांश

आधुनिक संथाल परगना जो ब्रिटिश काल में संथालों के तीव्र प्रवास के कारण संथाल परगना नाम से जाना जाने लगा कभी पहाड़िया जनजातियों का निवास स्थान हुआ करता था। वर्तमान राजमहल क्षेत्र जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, के साथ–साथ वर्तमान दुमका व गोड्डा जिले भी पहाडिया का मूल निवास स्थान हुआ करता था। मध्यकाल से ही इस क्षेत्र को जंगल तराई कहा जाता था। 1832 में पहाड़िया जनजातियों के बहुसंख्या के आधार पर इस क्षेत्र का नाम ''दामिन–ए–कोह' रखा गया। 'दामिन–ए–कोह' क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन प्रकार के पहाड़िया लोग निवास करते थे– (1) माल पहाड़िया, (2) सौरिया पहाड़िया और, (3) कुमार भाग पहाड़िया।

किन्तु पहाड़िया जनजातियों को जंगलों व पर्वतों से उखाड़ फेंकने के लिए ब्रिटिश प्रशासकों ने संथालों को तेजी सेबसाना शुरू किया व पहाड़िया से लड़ना भी आरंभ किया। इस संघर्ष में हजारों पहाड़िया मारे गए लाखों बेघर हो गए संथालों की आबादी बढ़ती गई फलतः 1856 में इस क्षेत्र को 'संताल परगाना' नाम दिया गया। पहाड़िया जनजातियों ने अपने अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई के साथ–साथ अंग्रेजों के विरूद्ध राष्ट्री आंदोलन की लड़ाई भी बड़ी बहादुरी से लड़ी। स्वदेशी आन्दोलन असहयोग आन्दोलन सविनय अवज्ञा आन्दोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आन्दोलन इन सभी में इस वर्ग ने अहम भूमिका निभाई। सुंदर सिंह पहाड़िया बबुआ सिंह पहाड़िया गांदेलाल पहाड़िया, गंगा सिंह आदि ने महत्व योगदान दिया।

मुख्य बिन्दु

जंगल तराई, दामिन–ए–कोह, परगनैत, सौरिया पहाड़िया, डी0आई0आर0 अधिनियम, आलूवेडा, गांदोलाल पहाड़िया, सरौना आदि।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 18.03.2024
Approved: 22.03.2024

प्रो० वकुल रस्तोगी,
रामानन्द कुमार पासवान

संथाल परगना के पहाड़िया जनजातियों का राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान

RJPP Oct.23-Mar.24, Vol. XXII, No. I,

PP. 053-056
Article No. 07

Online available at:
https://anubooks.com/view?file=3568&session_id=rjpp-march-2024-vol-xxii-no1-230

संथाल परगना प्रमंडल पहाड़िया जनजाति का वास क्षेत्र है वस्तुतः संथाल परगना के मूल निवासी पहाड़िया ही है। राजमहल पहाड़ी प्रदेश गैर–स्वामित्व वाले भाग तथा पहाड़िया जनजाति के वास क्षेत्र के वर्गीकरण के लिए और विशिष्ट प्रशासनिक एवं राजस्व सुविधा के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1832 में मिट्टी जनसंख्या भौतिक परिवेश में संस्कषति के आधार पर इस पहाड़ी क्षेत्र को 'दामिन–ए–कोह' नाम दिया। 'दामिन' का अर्थ होता है पहाड़ी भू–भाग 'दामिन–ए–कोह' का अर्थ होता है पहाड़ी आँचल। इस प्रकार पहाड़िया जनजाति का निवास स्थान होने के कारण इस प्रक्षेत्र का नाम दामिन–ए–कोह पड़ा हालांकि आगे चलकर संथालों के तीव्र प्रवास के कारण इस क्षेत्र का नाम संथाल परगना पड़ा।

1770 ई0 के बाद दामिन–ए–कोह अथवा राजमहल क्षेत्र संथाल जनजाति का प्रवास शुरू हुआ अंग्रेजों ने संथालों के प्रवास को समर्थन दिया ताकि इसकी सहायता से पहाड़िया जनजाति पर काबू पा सके। इस क्षेत्र में निवास करने वाले पहाडिया तीन उपजातियों में विभक्त थी– (1) माल–पहाड़िया, (2) सौरिया पहाड़िया, (3) कुमारभाग पहाड़िया

अंग्रेजों का समर्थन पाकर संथाल पहाड़िया जनजाति से संघर्ष आरंभ कर दिए काफी मार–काट मची हजारों की संख्या में पहाड़िया मारे गये लाखों बेघर होकर जंगलों में छुप गए। इसके बावजूद भी पहाड़िया जनजाति के लोगों ने कालांतर में संथाल विद्रोह में संथालों का पूरा साथ दिया।

1857 की क्रांति में भी पहाड़िया जनजातियों ने अपनी भूमिका प्रस्तुत की। उन्होंने चेवो तेतरिया पहाड़िया ने पहाड़ी क्षेत्रों में अपने समुदाय के लोगों को संगठित कर उन्हें नेतृत्व प्रदान किया। अपनी संगठन क्षमता और सबल नेतष्त्व के कारण गबई गोधरा काफी लोकप्रिय हो गया। पहाड़िया समुदाय में इन्हें 'राजनीति जागरण का अग्रदूत' कहा जाता है। उनके संगठनात्मक कार्यों से ब्रिटिश प्रशासन इतना घबरा गया कि बारकोप में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई।

गबई गोधरा पहाड़िया के नेतष्त्व में ही पहाड़िया लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में योगदान दिया था। इनकी हत्या के बावजूद महामना गोपाल कष्ष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के आह्वान पर राष्ट्रीय आन्दोलन में पहाड़िया लोगों ने स्वयं को समर्पित कर दिया। 1920–1921 के बाद पहाड़िया जनजातियों ने महात्मा गांधी पं0 जवाहरलाल, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।[1]

असहयोग आन्दोलन में पहाड़िया लोग गांधी जी के साथ दिखाई दिए। ग्राम ठढ़ावास बंग्ला तालझाड़ी के मेशा पहाड़िया के पुत्र जबरा पहाड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया उसे एक महीने का सश्रम कारावास की सजा दी गई इतना ही नहीं उसके घर की कुर्की की गई।[2]

1928 के बाद साहेबगंज के अग्रणी नेता द्वारिक प्रसाद मिश्र ने पहाड़िया गांवों का दौरा किया और वहां भाषण दि सुंदर सिंह पहाड़िया ने इनके भाषण के अभिप्राय को अपनी भाषा में अनुवाद करते हुए पहाड़िया लोगों से आग्रह किया कि तत्कालीन विषम परिस्थिति में देश और आदिवासियों के लिए संघर्ष के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। द्वारिका प्रसाद मिश्र ने पहाड़ि का एक संगठन तैयार किया जिसमें विभिन्न पहाड़िया गांव के कई पहाड़िया शामिल हुए थे जिसके फलस्वरूप पहाड़िया समुदाय में राजनीतिक जागरण आया।[3]

नमक सत्याग्रह आन्दोलन में पंगरो पहाड़ा के पंडरा पहाड़िया और चंद्र के सुंदर पहाड़िया ने योगदान दिया। नमक सत्याग्रह में पहाड़िया जनजाति के शामिल होने के कारण ब्रिटिश हुकूमत बेचैन हो उठी संथाल परगना के उपायुक्त ने इसके निराकरण हेतु जो कदम उठाए उसका पूर्ण अनुमोदन किया गया। उपायुक्त ने 4 सितम्बर, 1930 को भागलपुर के आयुक्त को रिपोर्ट किया। ''यह एक खतरनाक आन्दोलन है और किसी भी स्थिति में इसे जड़ पकड़ने और फैलने नहीं देना होगा।''

गोड्डा के अजुमंउल अधिकारी ने दुमका के उपायुक्ता को सूचित किया था कि 14 अक्तूबर, 1930 को पहाड़िया लो सविनय अवज्ञा आन्दोलन का घूम–घूमकर प्रचार कर रहे थे। वह पहाड़िया लोगों संथाल लोगों को कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। वह पहाड़िया लोगों संथाल लोगों को कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उपायुक्त ने अनुमंडलाधिकारी को पहाड़िया के विरूद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। 17 अक्टूबर, 1930 के पत्र में उपायुक्त ने लिखा ''आदिवासियों के मध्य ऐसी कार्रवाई को कोठरता से दबा देना होगा।[4]

1940 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया तब संथाल परगना मे भी अनेक आन्दोलनकारी व्यक्तिगत सत्याग्रह में सम्मिलित हुए। पहाड़िया समुदाय के कई कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्ता के एक गोपनीय पत्र के अनुसार पाकुड के गांदोलाल पहाड़िया को डी0आई0आर0 नियमों के तहत गिरफ्तार कर चार मास को कठोर कारवास की सजा दी गई।

गोड्डा अनुमंडल में मेशा पहाड़िया को गिरफ्तार कर छः महीने की कठोर कारावास की सजा दी गई साथ ही पांच रूपए का अर्थदंड भी लगाया गया जिसे न देने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया गया था इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल होकर पहाड़िया जनजातियों ने खुद को राष्ट्र की तत्कालीन मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। संथाल परगना में राष्ट्रीय आन्दोलन के अग्रणी राष्ट्रीय नेता प्रफुल्ल चंद्र पटनायक के अनुसार व्यक्तिगत सत्याग्रह कार्यक्रम में पहाड़िया जनजातियों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई। अन्य सत्याग्रहियों के संपर्क में आने से पहाड़िया लोगों का दृष्टिकोण काफी विस्तृत हुआ। साहेबगंज के स्वतंत्रता सेनानी द्वारिक प्रसाद मिश्र की अप्रकाषित डायर के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सुंदर सिंह पहाड़िया, मेशा पहाड़िया राम पहाड़िया और रेशा पहाड़िया आदि की मदद से श्री मिश्र ने पहाड़िया लोगों को राजनीतिक रूप से संगठित किया।

भारत छोड़ो आन्दोलन में भी पहाड़िया जनजातियों का योगदान महत्वपूर्ण रही। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आन्दोलन में शामिल हो गए। श्री प्रफूल्ल चंद्र पटनायक श्री कृष्णा प्रसाद साह और के0 गोपालन के नेतृत्व में पहाड़िया जनजातियों ने भारत छोड़ो आन्दोलन में बड़ा सहयोग किया। श्री जामा कुमार पहाड़िया, डोमन बाल पहाड़िया भैंसा सिंह पहाड़िया आदि पहाड़िया नेताओं के साथ इन्होंने पहाड़िया लोगों को संगठित किया तथा उनके दिल का निर्माण किया जिसमें 150 पहाड़िया युवक थे। पहाड़िया महिलाओं ने युवकों के उत्साह बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी। श्री पटनायक ने पहाड़िया के 11 जत्थे बनाए और इन जत्थों को पांच टुकड़ियों में रखा। इनके नेतृत्व में इस जनजाति के लोगों ने संथाल परगना में मंडरों, डमरू सरौना,

सुसनी आलुवेडा, चाँदना सिंलीगी गम्हरिया और रक्सो में शराब की अनेक बट्यिों एवं बंग्लों का जला दिया इन्होंने पुलिस और परगनैत के साथ सशस्त्र संघर्ष किया श्री पटनायक द्वारा दिए गए। विवरण के अनुसार 6 नवम्बर, 1942 को रक्षी दल के साथ हुए संघर्ष में बबुआ सिंह पहाड़िया एवं वैसा सिंह पहाड़िया ने अदम्य साहस का परिचय दिया और जब तक घायल होकर गिर नहीं गए तब तक लगभग 45 निनट तक वे पुलिस से लड़ते रहे। परमनैत और पुलिस द्वारा ये सभी गिरफ्तार कर लिए गए।[5]

अमड़ापाडा के निकट आलवेड़ा बंगला के अंदर विसनपुर ग्राम के निवासी श्याम टुड्ड के साथ श्री गांदेमाल पहाड़िया बाबूलाल मडैया और कार्तिक गद्दी को आलूवेंडा बंगला जलाने के अपराध में 15 मार्च 1943 को तीन वर्ष की कैद और 50 रूपए का जुर्मान दिया गया। गंगा सिंह पहाड़िया बादल माल पहाड़िया डोमन लाल पहाड़िया आदि भारत छोड़ों आन्दोलन के महान पहाड़िया आन्दोलनकारी थे।[6]

संथाल परगना में फॉरवर्ड ब्लॉक की विचारधारा का भी प्रसार हुआ। संथाल परगना के फॉरवर्ड ब्लॉक के लम्बोदर मुखर्जी और सर्वदानंद मिर ने पहाड़िया लोगों को फॉरवर्ड ब्लॉक की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उत्साहित किया। 28 दिसम्बर, 1947 को इन दोनों नेताओं ने दुमका में एक साथ सभा आयोजित की जिसमें एक सौ लाल कुरताधारी संथाल और पहाड़ियों शामिल हुए इसी सभा में शरतचंद्र बोस की गिरफ्तारी की निंदा की गई और एक प्रस्ताव पारित किया गया था।[7]

संदर्भ

1. नाथ, सुरेश्वर., वर्मा, दिनेश नारायण. पहाड़िया जनजाति का संक्षिप्त इतिहास. पृष्ठ **9–10.**
2. दिवाकर, आर0आर0. (1958). बिहार ध्रुव एजेज. कलकत्ता. पृष्ठ **660.**
3. नाथ, सुरेश्वर., वर्मा, दिनेश नारायण. पहाड़िया जनजाति का संक्षिप्त इतिहास. पृष्ठ **10–11.**
4. दत्त, के0के0. पृष्ठ **133–134.**
5. वर्मा. दिनेश नारायण. (1989). नवोदय. अक्टूबर. पृष्ठ **10.**
6. मोतीलाल, केजरीवाल. (1849). 42 की क्रांति में संथाल परगना. दुमका. पृष्ठ **37–46.**
7. दत्त, के0के0. बिहार में स्वतंत्र आंदोलन का इतिहास. पृष्ठ **134.**